स0स0–7/बजट–46–12/2024– 95 (7)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनाक–19/06/2025

विषय:– राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छपरा (सारण) के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल रु0 3,49,78,00,000/–(रुपये तीन अरब उन्चास करोड अठहत्तर लाख) मात्र व्यय निमित प्रशासनिक स्वीकृति योजना के Scope of Work में परिवर्तन के कारण बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रू० 6,29,18,09,000/–(छः अरब उनतीस करोड़ अठारह लाख नौ हजार) मात्र की लागत पर योजना की घटनोत्तर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना मद से राशि रू0 65,00,00,000/– (रूपये पैंसठ करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त विषयक राज्यादेश स0–386(1) दिनाक–29.03.2017, सह–पठित शुद्धि पत्र स0–113(1)ब0, दिनाक–31.03.2017 एव शुद्धि पत्र स0–1391(1) दिनाक–07.12.2017 द्वारा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छपरा (सारण) के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एव तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल रु0 3,49,78,00,000/–(रुपये तीन अरब उन्चास करोड अठहत्तर लाख) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त स्कीम (योजना) के Scope of Work मे परिवर्तन के कारण बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रू० 6,29,18,09,000/–(छ अरब उनतीस करोड अठारह लाख नौ हजार) मात्र की लागत पर योजना की घटनोत्तर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या–236(7), दिनाक–28.10.2024 के द्वारा प्रदान की गयी है।

2– इस योजना हेतु अब तक आवटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	केन्द्रांश/ राज्यांश	राशि (रु0 में)	आवंटनादेश सं0 एवं दिनांक
1	2017–18	केन्द्राश	26,00,00,000	स0–68(1)ब0,दिनाक–07.12.2017
2	2017–18		17,64,00,000	सं0–124(1)ब0,दिनाक–20.03.18
3	2018–19		48,00,00,000	स0–96(1)ब0,दिनाक–21.01.2019
4	2019–20		21,76,00,000	स0–1560(1),दिनाक–27.11.2019
	योग–		**1,13,40,00,000**	
1	2017–18	राज्याश	17,33,33,000	सं0–68(1)ब0,दिनाक–07.12.2017
2	2017–18		11,76,00,000	सं0–124(1)ब0,दिनाक–20.03.18
3	2018–19		32,00,00,000	स0–96(1)ब0,दिनाक–21.01.2019
4	2019–20		14,50,67,000	स0–1560(1),दिनाक–27.11.2019
	योग–		**75,60,00,000**	
1	2022–23	राज्य योजना	30,00,00,000	सं0–154(7),दिनाक–10.08.2022
2	2022–23		20,00,00,000	स0–515(7),दिनाक–28.02.2023
3	2022–23		1,00,00,00,000	स0–599(7),दिनाक–29.03.2023

4	2023–24	राज्य योजना	10,78,00,000	स0–199(7),दिनाक–28 04 2023
5	2024–25		90,00,00,000	स0–391(7),दिनाक–28 01 2025
6	2024–25		21,77,00,000	स0–502(7),दिनाक–11 03 2025
योग–			**2,72,55,00,000**	
कुल योग (केन्द्रांश+राज्याश+राज्य योजना)–			**4,61,55,00,000**	

3– अतएव उक्त के आलोक मे राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छपरा (सारण) के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 मे कुल रू0 3,49,78,00,000/–(रुपये तीन अरब उन्चास करोड अठहत्तर लाख) मात्र व्यय निमित प्रशासनिक स्वीकृति योजना के Scope of Work मे परिवर्तन के कारण बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रू० 6,29,18,09,000/–(छ. अरब उनतीस करोड अठारह लाख नौ हजार) मात्र की लागत पर योजना की घटनोत्तर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के अतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 मे राज्य योजना मद से राशि रू0 65,00,00,000/– (रूपये पैसठ करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

4– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा राज्यादेश स0–386(1) दिनाक–29 03 2017 मे निहित शर्तो के आधार पर कराया जायेगा।

5– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि0(2), दिनाक–17 04 98, 2880/वि0(2), दिनाक–06 05 06,2938/वि0(2), दिनाक–08 04 08 एव 3758/वि0, दिनाक–31 05 2017 एव 12888/वि०, दिनाक–03 12 2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

6– इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

7– राज्य योजना से Top up Fund के रूप मे चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल मद मे उपबधित राशि से व्यय का वहन मॉग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाए, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0111–मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड–20–4210011100111 अन्तर्गत विषय शीर्ष 0111–53–01–मुख्य निर्माण कार्य ईकाई मे बजट उपबध से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

8– अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID--------मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

9– बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत सरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण (Plus-Minus Memoranda) ज्ञापन तथा व्यय के सुसगत भाउचर्स/उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ ससमय कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे तथा एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे ।

10– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11– प्रस्ताव एव प्रारूप पर अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

12– प्रारूप मे आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सख्या–7/बजट–46–12/2024 के पृष्ठ–46/टि0 पर प्राप्त है।

13– यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन

19.6.25

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–7 / बजट–46–12 / 2024–95 (7) / स्वा0, पटना, दिनांक–19/06/2025

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / प्रमंडलीय आयुक्त, सारण / जिलाधिकारी, छपरा (सारण) / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / प्राचार्य–सह–अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छपरा (सारण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग / प्रशाखा पदाधिकारी–7 / लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित सभी को ई–मेल करने के निदेश के साथ प्रेषित।

19.6.25.

सरकार के अपर सचिव।